UPMB010004162017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0), महोबा।

पीठासीन अधिकारी– तेन्द्र पाल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01719

विशेष वाद संख्या–01/2017

राज्य बनाम राकेश उर्फ कोमल।

मु0अ0सं0–339/2014
धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना–कोतवाली महोबा,
जिला महोबा।

दिनांक–01.05.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। अभियुक्त की हाजिरी माफी कागज संख्या–70ख जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत की गयी जो आज के लिए स्वीकार की जाती है।

अभियोजन की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र 69ख पर अभियोजन व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 69ख में अभियोजन की ओर से कथन किया गया है कि उक्त पत्रावली बहस हेतु नियत है। उक्त पत्रावली से संबंधित मु0अ0सं0 340/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली महोबा की पत्रावली इस उक्त पत्रावली के साथ संलग्न है। उक्त दोनो पत्रावलियों में एक साथ दिनांक 19.06.2017 को आरोप विरचित किया गया ळै। विशेष वाद संख्या–01/2017 में अभियोजन के द्वारा साक्ष्य अंकित कराये गये थे, परन्तु सहवन पत्रावलियों में लीडिंग केस नहीं बनाया गया है। दोनो पत्रावलियों में अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 भी हो चुके है। अतः प्रार्थना की है कि उक्त दोनो पत्रावलियों को समेकित करते हुए विशेष वाद संख्या–01/2017 सरकार बनाम राकेश उर्फ कोमल, मु0अ0सं0–339/2014, धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना–कोतवाली महोबा, जिला महोबा की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली बनाया जाये।

अभियोजन की ओर से इससे पूर्व में भी उक्त के संबंध में दिनांक 02.04.2024 को प्रार्थना पत्र 68ख प्रस्तुत किया गया था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के हाशिये पर कोई आपत्ति नहीं है, का पृष्ठांकन किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त पत्रावली बहस हेतु नियत है। उक्त दोनो वादों की पत्रावलियों में दिनांक 19.06.2017 को आरोप विरचित किया गया था।

Digitally signed by TENDRA PAL
Date: 2024.05.01 13:37:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इसके पश्चात सत्र परीक्षण संख्या–10/2017 में उक्त दिनांक को ही उक्त वाद विशेष वाद संख्या–01/17 के साथ पेश किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त दिनांक से लगातार दोनो वाद की पत्रालियां एक साथ प्रस्तुत होती रही। उक्त दोनो वादों से संबंधित अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य विशेष वाद संख्या–01/2017 में अंकित किया गया है, परन्तु त्रुटिवश उक्त दोनो वादो में से किसी एक वाद की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली नहीं बनायी गयी है। उक्त दोनो पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि उक्त दोनो वादों की पत्रावलियों में अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 भी अंकित किया जा चुका है। यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय में उपरोक्त मामले से संबंधित निम्नलिखित विशेषवाद लम्बित है–

1. विशेष वाद संख्या–01/2017, मु0अ0सं0–339/2014, सरकार बनाम राकेश उर्फ कोमल, धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना–कोतवाली महोबा, जिला महोबा।

2. सत्र परीक्षण संख्या–10/2010 मु0अ0सं0–340/2014 सरकार बनाम राकेश उर्फ कोमल, अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा।

उपरोक्त दोनो वाद संख्या एक ही घटना व संव्यवहार से संबंधित है। साक्ष्य भी एक साथ प्रस्तुत किया गया है। त्रुटिवश समेकित करने वाला आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त सभी वादों में परस्पर विरोधी निर्णय के बचाव हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उपरोक्त वादों में एक साथ संयुक्त बहस सुन कर निर्णय पारित किया जाये।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 68ख व 69ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 68ख व 69ख स्वीकार किया जाता है। उक्त दोनो वादों की पत्रालियो को समेकित करते हुए वशेष वाद संख्या–01/2017, मु0अ0सं0– 339/2014, सरकार बनाम राकेश उर्फ कोमल, धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना–कोतवाली महोबा, जिला महोबा की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली बनायी जाती है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.05.2024 को पेश हो। उक्त आदेश की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–10/2010 में रखी जाये।

(तेन्द्र पाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,(एफ0टी0सी0)
महोबा, यू0पी0–01719

<u>दिनांक–01.05.2024</u>